भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1479

दिनांक 01.01.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल के लिए तेलंगाना को निधि

1479. श्री देवेंदर गौड टी॰:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पेयजल प्रदान करने हेतु तेलंगाना राज्य को 350 करोड़ रुपये जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या राज्य ने इस धन का उपयोग किया है;
(ग) मंत्रालय राज्य के सूखा–प्रभावित क्षेत्रों में धन का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार को राजी कर रहा है; और
(घ) क्या 350 करोड़ रुपये की राशि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तेलंगाना हेतु मंजूर किए गए 750 करोड़ के पैकेज का हिस्सा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देश के अनुसार निधियों की रिलीज पूर्व-अनुमोदित मानदण्ड अनुसार की जाती है। वर्ष 2017-18 में मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत तेलंगाना राज्य को 27.12.2017 तक 555.37 करोड़ रुपए जारी किए है जिसमें फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में समस्या का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन के तहत 440.51 करोड़ रुपए की रिलीज शामिल है। राज्यों को राज्य वित्त विभाग से और निधियां जुटाने की भी सलाह दी गई है साथ ही साथ 14वीं वित्तीय आयोग के अंतर्गत निधियों के बढ़े हुए हस्तांतरण का उपयोग भी करने की सलाह दी गई है।
चूंकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, राज्य इस निधि का पेयजल आपूर्ति से संबंधित विभिन्न स्कीमों/उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु शक्ति सम्पन्न है जिसमें सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उपाय शामिल है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय सूखे के कारण न्यूनीकरण उपायों को चलाने के लिए तेलंगाना सहित राज्यों को परामर्श जारी करता है।
इस संबंध में सूखा या अन्य किसी पैकेज के लिए 350 करोड़ रुपए के पैकेज रिलीज के बारे में मंत्रालय को जानकारी नहीं है।